न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
08/19	एफएसएस एक्ट, 2006	18/03/2019

1. नरेश कुमार बेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

आवेदक

बनाम

1. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र रामबिलास गुप्ता उम्र 45 वर्ष जाति महाजन निवासी चौकीदार मोहल्ला कैलाश टाकीज के पीछे गंगापुर सिटी (फर्म मालिक) मैसर्स धीया एन्टरप्राईजेज गोपालगंज पोस्ट गंगापुर सिटी।
2. पंकज शर्मा (नोमिनी) मैसर्स गुरूजी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड प्लाट न0 एफ– 544 गेट न0 04 रोड न0 01 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर – 302013
3. मैसर्स गुरूजी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड प्लाट न0 एफ– 544 गेट न0 04 रोड न0 01 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर– 302013 (निर्माता फर्म)

अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

दिनांक– 28.08.2024

निर्णय

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 16.04.2018 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स धीया एन्टरप्राईजेज गोपालगंज पोस्ट गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहा पर राकेश कुमार गुप्ता पुत्र रामबिलास गुप्ता उम्र 45 वर्ष जाति महाजन निवासी चौकीदार मोहल्ला कैलाश टाकीज के पीछे गंगापुर सिटी (फर्म मालिक) की हैसियत से उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया,तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में परिसर का निरीक्षण किया दुकान की रेक मे विक्रय हेतु रखी खाद्य पदार्थ केशरिया ठण्डाई (श्री गुरूजी) 750 मि0ली0 की 13 पैक बोतले कोटन पैकिंग्स का निरीक्षण कर क्रय बिल मांगा, विक्रेता द्वारा मौके पर क्रय बिल की प्रति पेश की। आवेदक ने खाद्य पदार्थ केशरिया ठण्डाई (श्री गुरूजी) 750 मि0ली0 का नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ केशरिया ठण्डाई (श्री गुरूजी) 750 मि0ली0 की 4 पैक बोतल वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 960/– रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं रसीद पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये पदार्थ केशरिया ठण्डाई (श्री गुरूजी) 750 मि0ली0 की 4 पैक बोतलो को मूल ही लेकर ,आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार कर जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज मे लेपटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लीप क्रमांक एच– 1370 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेफर दोनो पर आवे एवं सील बन्द नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूने भागो को अपने कब्जे मे लिया तत्पश्चात् आवेदक कार्यालय मे पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे मो0 असलम चतुर्थ श्रेणी कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियो के आउटर कवर मे सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एमएसएसए/2018/3174 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 292 /एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/330 दिनांक 25.05.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ केशरिया ठण्डाई (श्री गुरूजी) मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 292 /एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/330 दिनांक 25.05.2018 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकार के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 52 मे सजा व जुर्माने योग्य अपराध है। अतः

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण सं0 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अवगत कराया कि अभियुक्त सं0 1 ने अभियुक्त सं0 3 गुरूजी छण्डाई के निर्माता से दिनांक 05.04.2018 को पैक एवं सीलबन्द माल की खरीदा था जिसका बिल सैम्पलिंग कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था, अभियुक्त सं0 1 से लिया गया सैम्पल सीलबन्द व पैक अवस्था में था। यदि अभियुक्त सं0 3 द्वारा अभियुक्त सं0 1 को विक्रय किया गया माल का सैम्पल मिस ब्रान्ड पाया गया है तो उसमें अभियुक्त सं0 1 की कोई गलती नहीं है क्योंकि माल के निर्माण में व लेवलिंग में प्रार्थी का कोई हस्तक्षेप नहीं था तथा प्रार्थी को द्वितीय सैम्पल रैफरल प्रयोगशाला से जांच कराने का अवसर नहीं मिला जिस कारण अभियुक्त सं0 1 के अधिकार प्रभावित हुए है ,साथ ही वकील अभियुक्त सं0 1 ने उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियुक्त सं0 2 व 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार नहीं की है। आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ किस अवस्था में जांच हेतु खाद्य विश्लेषक कोटा को प्रेषित किया है कोई अंकन नहीं किया हुआ है। आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ रैफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु भी अभियुक्तगण को कोई मौका नहीं दिया गया है। यदि उक्त नमूना की पुन: जांच हेतु अभियुक्तगण को मौका दिया जाता तो उक्त नमूना मिसब्राण्ड प्रकृति नहीं पाया जाता, साथ ही अभियुक्त सं0 2 व 3 के अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त सं0 01 की कोई गलती नहीं हैं अभियुक्त सं0 01 द्वारा अभियुक्त सं0 2 से जिस अवस्था में खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है उसी अवस्था में विक्रय किया जाता है। अभियुक्त सं0 01 द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। अभियुक्त सं0 01 एक छोटी सी फर्म पर कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अभियुक्त सं0 1 के आजिविका का एक मात्र साधन यह ही है, साथ ही अभियुक्त सं0 01 ने उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 292 /एफएसएसए/कोटा/ एक्ट/2019/330 दिनांक 25.05.2018 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्डेड प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है तथा आवेदक यदि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि में रेफरल प्रयोगशाला में जांच करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता था, साथ ही वकील अभियुक्त का यह कथन की पुनः जांच हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं उक्त क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2018/3174 दिनांक 31.05.2018 के अनुसार अभियुक्त संख्या एक को जरिये रजिस्टर्ड पत्र हेतु सूचना दी गई है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतीत होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 को 10,000 (दस हजार) एवं अभियुक्त सं0 2 लगायत 3 को संयुक्त रूप से 80,000 (अस्सी हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय अद्य दिनांक. 28.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, जिला- सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी